



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032022-234574  
CG-DL-E-28032022-234574

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1335]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2022/चैत्र 7, 1944

No. 1335]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2022/CHAITRA 7, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

का.आ. 1377(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948) (1948 का 34) की धारा 1 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से, उक्त उप-धारा के अधीन अपेक्षित, इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनों की श्रेणी तक, उक्त अधिनियम के उपबंधों को विस्तारित करने के अपने आशय की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उससे एक माह पश्चात् सूचना देती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना के संबंध में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपतियां या सुझाव पर विचार किया जाएगा।

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, श्री मदन चौरसिया, अवर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किए जाएंगे (ईमेल-madan.c@nic.in)।

## अनुसूची

स्थापनाओं का विवरण		क्षेत्र जिनमें स्थापन स्थित है।
निम्नलिखित स्थापन जिनमें दस या अधिक व्यक्ति पिछले बारह महीनों में किसी दिन नियोजित थे, अर्थात्:-		अंडमान व निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के वे सभी क्षेत्र जहां अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (3) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंध पहले ही लागू किए जा चुके हैं।
(i)	दुकानें;	
(ii)	होटल;	
(iii)	रेस्तरां;	
(iv)	सड़क मोटर परिवहन स्थापन;	
(v)	पूर्व-दर्शन थियेटर सहित सिनेमा;	
(vi)	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित समाचार स्थापन;	
(vii)	वैयक्तिक, न्यास, सोसाइटी अथवा अन्य संगठन द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षिक संस्थान(पब्लिक, निजी, सहायता-प्राप्त अथवा आंशिक रूप से सहायता-प्राप्त संस्थान सम्मिलित हैं);	
(viii)	चिकित्सा संस्थान (निगमित, संयुक्त क्षेत्र, न्यास, धर्मार्थ तथा निजी स्वामित्व वाले अस्पताल सम्मिलित हैं) नर्सिंग होम, नैदानिक केन्द्र, विकृति विज्ञान प्रयोगशालाओं।	

[फा. सं. एस-38025/03/2021-एस.एस.-I]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2022

**S.O. 1377(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby gives notice, as required under the said sub-section, of its intention to extend the provisions of the said Act to the classes of establishments specified in the Schedule annexed to this notification, on or after one month from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

Any objections or suggestions, which may be received from any person in respect of the said notification within the period specified above, will be considered by the Central Government;

The objections and suggestions may be addressed to Shri Madan Chaurasia, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 (E-mail: madan.c@nic.in).

**SCHEDULE**

Description of establishments		Areas in which the establishments are situated
(1)		(2)
The following establishments wherein ten or more persons are employed, on any day of the preceding twelve months, namely :-		Areas of the Union territory of Andaman and Nicobar Islands, where the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) have already been brought into force under sub-section (3) of section 1 of the Act.
(i)	Shops;	
(ii)	Hotels;	
(iii)	Restaurants;	
(iv)	Road motor transport establishments;	
(v)	Cinemas including preview theatres;	
(vi)	Newspaper establishments as defined in clause (d) of section 2 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955);	
(vii)	Educational Institutions (including public, private aided or partially aided) run by an individual, trust, society or other organisation;	
(viii)	Medical institutions (including corporate, joint sector, trust, charitable and private ownership hospitals), nursing homes, diagnostic centres and pathological labs.	

[F. No. S-38025/03/2021-SS.I]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.